

मुकदमों का विवरण

फूले सिंह बनाम.

हरियाणा राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 396) 27 सितंबर, 2023

[बी. आर. गवई, पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: चाहे परिस्थितियों की समग्रता में, यह कहा जा सकता है कि मृत्यु घोषणा (उदा। पी. एल.) संदेह से मुक्त है; क्या सबूत उचित संदेह से परे साबित करते हैं कि मृतक को दहेज की मांग को पूरा न करने के कारण परेशान किया गया था।

साक्ष्य अधिनियम, 1872-मृत्यु घोषणा-संदेह से मुक्त मृत्यु घोषणा-इस बात पर संदेह कि दर्ज की गई मृत्यु घोषणा स्वैच्छिक थी या इसे सिखाया गया था-पीड़ित की शारीरिक स्थिति के बारे में संदेह-पीड़ित द्वारा दिए गए बयान में भिन्नता

आयोजित किया गया: वर्तमान मामला मुख्य रूप से मृतक की मृत्यु की घोषणा पर निर्भर करता है-वर्तमान मामले में, मृत्यु की घोषणा कार्यकारी मजिस्ट्रेट पीडब्लू-5 द्वारा दर्ज की जाती है-यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक को 05.11.1991 पर जलने की चोटें आईं, लेकिन मृत्यु की घोषणा 08.11.1991 पर दर्ज की गई जब मृतक के रिश्तेदारों द्वारा एस. डी. एम.-पीडब्लू-5 को एक आवेदन दिया गया, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि लड़के (मृतक से संबंधित), जिन्होंने एस. डी. एम. के आदेश वाले आवेदन को लाया था, ने उनसे कहा था कि मृतक का बयान दर्ज किया जाना चाहिए और वह बयान देने की स्थिति में थी-उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन लड़कों ने उन्हें बताया था कि उन्हें मृतक को जो कुछ भी बताना था, उन्होंने उसे बताया था और कहा था कि

793 794

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

पीडब्लू-5 द्वारा दर्ज किए जाने पर, कार्यकारी मजिस्ट्रेट-पीडब्लू-8-डॉक्टर ने आगे कहा था कि मृतक ने यह भी बताया था कि उसके पति ने उस पर पानी डालकर उसे बुझा दिया था-परिस्थितियों की समग्रता में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु घोषणा (उदा. पी. एल.) संदेह से मुक्त है। [पैरा 10, 11, 12, 13 और 14]

दंड संहिता, 1860-दहेज मृत्यु-उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अभियुक्त व्यक्तियों के नेतृत्व में अपील की अनुमति दी; अभियुक्त नं० 1, इसमें अपीलार्थी के पिता को यू/एस के आरोप से बरी कर दिया गया था। 304-आई. पी. सी. की बी, हालांकि, अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: मृतक की मृत्यु घोषणा संदेह से मुक्त नहीं थी-सबसे स्पष्ट पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं मृतक के ससुर के संबंध में मृत्यु घोषणा को अस्वीकार कर दिया है-यह समझना मुश्किल है कि उसी मृत्यु घोषणा को अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए कैसे आधार बनाया जा सकता था, जबकि जहां तक किसी अन्य आरोपी का संबंध है, उसी पर विश्वास नहीं किया गया था-पीडब्लू-9-जांच अधिकारी ने अपने बयान में कहा था कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वर्तमान मामला यू/एस का मामला नहीं था। 307 आई. पी. सी. या एस. 498-आई. पी. सी. का ए लेकिन एक मामला यू/एस। 309 आई. पी. सी.-उन्होंने आगे कहा था कि जांच के दौरान, यह पता चला कि मृतक कम गुस्सैल

था और आरोपी नं।1 (अपीलार्थी के पिता) दुर्भाग्यपूर्ण दिन गाँव में नहीं थे—जहाँ तक दहेज की माँग को पूरा न करने के संबंध में उत्पीड़न का संबंध है, अस्पष्ट आरोप के अलावा, उनके साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं है—गाँव के पीडब्लू-6-सरपंच ने कहा कि उन्हें मृतक के पिता पीडब्लू-4 द्वारा सूचित किया गया था कि मृतक के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे और इसलिए उन्हें गाँव जाना चाहिए, हालाँकि, दहेज की माँग को पूरा न करने के कारण किसी भी उत्पीड़न के बारे में कुछ नहीं कहा गया था—उचित संदेह से परे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मृतक को दहेज की माँग को पूरा न करने के कारण परेशान किया गया था—इसलिए, कोई मामला नहीं है।304-आई. पी. सी. का बी अभियोजन पक्ष द्वारा बनाया गया है।[पैरा 15,16 और 17]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

माखन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1019 -

संदर्भित किया गया।

795

फुलेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 796

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2010 की आपराधिक अपील सं. 396।

1999 के सी. आर. एल. ए. No.909 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

राजुल भार्गव, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजीव के. गर्ग, आशीष गर्ग, ललित नगर, टी. एल. गर्ग, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

समर विजय सिंह, राज सिंह राणा, केशव मित्तल, सुश्री सबरनी सोम, अमन देव शर्मा, पंकज कुमार सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

बी. आर. गवई, जे.

1. यह अपील पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2001 की आपराधिक अपील संख्या 413-डी. बी. ए. और 1999 की 909-एस. बी. के साथ 2000 की आपराधिक संशोधन संख्या 134 में पारित 24 जुलाई 2009 के फैसले और आदेश को चुनौती देती है, जिसमें खंड पीठ ने आरोपी व्यक्तियों के नेतृत्व में आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी थी। जिसमें अपीलार्थी के पिता जोरा सिंह (अभियुक्त सं. 1) को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षिप्त में "आई. पी. सी.") की धारा 304-बी के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था और इसमें अपीलार्थी को दोषसिद्धि और सजा सुनाई गई थी, जिसे श्रीमती निर्मल यादव, सत्र न्यायाधीश, सिरसा (इसके बाद "निचली अदालत" के रूप में संदर्भित) की विद्वत अदालत ने 1994 के सत्र परीक्षण सं. 122 में आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए 14 सितंबर 1999 के फैसले और आदेश के माध्यम से दिया था और सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था।जबकि, हरियाणा राज्य के नेतृत्व में 2001 की आपराधिक अपील संख्या 413-डी. बी. ए. और 2000 की आपराधिक संशोधन संख्या 134, किरण कौर के भाई (जिसे इसके बाद "मृतक" के रूप में संदर्भित किया गया है) के नेतृत्व में आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप से अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करने के फैसले को चुनौती देते हुए खारिज कर दिया गया।

[2023] 12 एस सी आर।

2. विवरणों को काटकर, वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: 2.1 मृतक और अपीलार्थी के बीच विवाह मार्च, 1987 में संपन्न हुआ और उन्हें एक लड़की और एक लड़के का आशीर्वाद मिला। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी दहेज की असंवेदनशीलता के कारण मृतक को परेशान करता था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी की मांगों के आगे झुकते हुए, मृतक के माता-पिता ने अपीलार्थी को नकद में ₹2,00,000/- का भुगतान किया और 1990 में, उन्होंने अपीलार्थी को 2.5-3 तोला वजन का एक स्कूटर और सोने के गहने दिए। इसके अलावा, जब भी वह अपने माता-पिता के घर जाती थी तो मृतक अपने माता-पिता और अपने भाई को अपीलार्थी के हाथों उसके साथ हुए उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बारे में बताती थी और अंततः अपीलार्थी के घर रहने से इनकार कर देती थी। हालाँकि, मृतक के ससुर जोरा सिंह के दामाद मोहन सिंह द्वारा दिए गए आश्वासन और जिम्मेदारी के कारण, उन्हें उनके वैवाहिक घर वापस लाया गया। तब भी, अपीलार्थी द्वारा मृतक के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार, पवित्र सिंह (पीडब्लू-3), मृतक का भाई 1991 की दिवाली से लगभग 3 से 4 दिन पहले गाँव चठा में मृतक से उसके वैवाहिक घर में मिलने आया था, जब मृतक ने उसे अपीलार्थी और उसके परिवार द्वारा की जा रही दहेज की मांग के बारे में सूचित किया था। जब पवित्र सिंह (पीडब्लू-3) घर लौटे और अपने माता-पिता को दहेज की मांग के बदले मृतक के साथ कथित उत्पीड़न के बारे में सूचित किया, तो मृतक के पिता रणधीर सिंह (पीडब्लू-4) अपने गाँव के सरपंच मेजर सिंह (पीडब्लू-6) के पास गए, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे दिवाली के बाद उनकी परामर्श के लिए अपीलकर्ता के घर जाएंगे। जिसके बाद, 5 नवंबर 1991 को, यानी दिवाली के त्योहार के दिन, भगवानगढ़ के डॉ. शर्मा राम मंडी आए थे। लौटने पर उसने पवित्र सिंह (पीडब्लू-3) और परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित किया कि मृतक को जला दिया गया है और उसे लुधियाना ले जाया जा रहा है। इसके बाद, पवित्र सिंह (पीडब्लू-3), रणधीर सिंह (पीडब्लू-4) और चचेरा भाई गुरराज सिंह दया नंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, लुधियाना (इसके बाद "डीएमसी, लुधियाना" के रूप में जाना जाता है) पहुंचे, जहां मृतक को भर्ती कराया गया और वह बेहोश हो गया। 5 नवंबर 1991 को, डी. एम. सी., लुधियाना के चिकित्सा अधिकारी डॉ. जसमीत सिंह धीर (पीडब्लू-7), जिन्होंने मृतक की चिकित्सकीय-कानूनी जांच की थी, ने कहा कि उसके शरीर पर 91 प्रतिशत जलन थी और तदनुसार रुखा (Ex.-P.J) उसी दिन लगभग 05.10 अस्पताल में मृतक को भर्ती करने के संबंध में थाना हाउस ऑफिस (एस. एच. ओ.), थाना सराभा नगर, लुधियाना को भेजा।

797

फुलेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य

[बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई, जे.] 798

2.2 7 नवंबर 1991 को, जब मृतक को होश आया, तो उसने पवित्र सिंह (पीडब्लू-3) और अन्य लोगों को बताया कि यह अपीलार्थी ही था जिसने उसे जला दिया था। जिसके बाद, रणधीर सिंह (पीडब्लू-4) ने एक आवेदन (पूर्व। P.D./1) मृतक का बयान दर्ज करने के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एस. डी. एम.), लुधियाना को। अगले दिन, यानी 8 नवंबर 1991 को लुधियाना के तत्कालीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री साधु सिंह (पीडब्लू-5) ने उक्त आवेदन को एस. डी. एम., लुधियाना (एक्स. P.D/2 और P.D/3)। उसी को प्राप्त करने पर, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, लुधियाना डी. एम. सी., लुधियाना पहुंचे और एक और आवेदन (एक्स. पी. एस.) दोपहर लगभग 04.15 पर चिकित्सा कार्यालय के समक्ष, जिससे मृतक की स्थिति के संबंध में उनकी राय ली जा सके। जब डॉ. जतिंदर पाल सिंह (पीडब्लू-8) ने अपनी राय दी। P.S/1 कि मृतक को बयान देने के लिए कहा गया था, श्री साधु सिंह (पीडब्लू-5) मृतक का बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़े। पी. एल.) उसी दिन लगभग 04.40 बजे। बयान को पढ़ा गया और मृतक को समझाया गया, जिसने इसकी सामग्री को सही स्वीकार करने के बाद उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में "एफ. आई. आर.") (उदा. आई. पी. सी. की धारा 498-ए, 307, 406 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मृतक के ससुर, अपीलार्थी जोरा सिंह और मृतक की सास धन कौर के खिलाफ मृतक के उक्त बयान के

आधार पर दर्ज किया गया था। 18 नवंबर 1991 को दोपहर लगभग 06.00 बजे, डॉ. जतिंदर पाल सिंह (पीडब्लू -8) भेजा रुका (Ex. पी. एम.) मृतक की मृत्यु के संबंध में थाना सराभा नगर, लुधियाना को जिसके बाद सहायक उप निरीक्षक (एएसआई), श्री भगवान (पीडब्लू-9) ने मृतक के शव के संबंध में 19 नवंबर 1991 को डीएमसी, लुधियाना में एक जांच रिपोर्ट तैयार की और पोस्टमार्टम के लिए भी आवेदन किया। P.R./1)।

2.3 जाँच पूरा होने पर, क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आरोप पत्र दायर किया गया। चूँकि यह मामला विशेष रूप से विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय था, इसलिए इसे विद्वान सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। आई. पी. सी. की धारा 34 और आई. पी. सी. की धारा 304-बी के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

2.4 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों से पूछताछ की। इसके बाद,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अभियुक्त व्यक्तियों से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("Cr.P.C". संक्षेप में) की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई थी। उन्होंने दहेज की मांग और मृतक के उत्पीड़न के संबंध में अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया और आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अभियुक्त व्यक्तियों ने इस बात से भी इनकार किया कि मृतक को उनके द्वारा जला दिया गया था। मुकदमे के समापन पर, विद्वत निचली अदालत ने तीनों अभियुक्त व्यक्तियों को मृतक की दहेज हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और तदनुसार उन्हें सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। तथापि, विद्वत विचारण न्यायालय आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप को संदेह का लाभ देने के लिए प्रसन्न था और इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्तियों को उक्त आरोप से बरी कर दिया।

2.5 इससे व्यथित होकर, अभियुक्त व्यक्तियों ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की; जबकि, हरियाणा राज्य और पवित्र सिंह (पीडब्लू-3) ने भी आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप से अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करने के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी अपीलों का नेतृत्व किया। उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि मृतक की सास धन कौर द्वारा दायर अपील को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि कार्यवाही के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी; हरियाणा राज्य और पवित्र सिंह (पीडब्लू-3) के नेतृत्व में दायर अपीलों को खारिज कर दिया और मृतक के ससुर और अपीलकर्ता जोरा सिंह के नेतृत्व में दायर अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिससे आईपीसी की धारा 304-बी के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोप के ससुर जोरा सिंह को बरी कर दिया गया, लेकिन यहां अपीलकर्ता को विद्वत निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को स्वीकार कर लिया।

3. इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजुल भार्गव और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री समर विजय सिंह को सुना है।

5. श्री भार्गव ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराने में घोर गलती की है। वह प्रस्तुत करता है कि मृत्यु घोषणा पर रखी गई निर्भरता पूरी तरह से अस्थिर है। वह प्रस्तुत करता है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मृतक द्वारा स्वयं डॉक्टर को दी गई पहली जानकारी से पता चलता है कि मृतक ने खुद को मिट्टी का तेल लगाया था और खुद को फिर से स्थापित किया था। वह प्रस्तुत करता है कि वास्तव में, यह 799 है

उपस्थित अपीलार्थी जिसने अधिकार को बुझाने की कोशिश की थी। विद्वान वरिष्ठ वकील इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि दुर्घटना के तीन-चार दिनों के बाद दर्ज की गई मृत्यु की घोषणा पर अदालतों द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता था। वह प्रस्तुत करता है कि उक्त मृत्यु घोषणा उसके रिश्तेदारों के कहने पर एक प्रशिक्षित थी और केवल उसी के आधार पर दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील हाल के एक फैसले पर भरोसा करते हैं

माखन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1 के मामले में इस न्यायालय ने फैसला सुनाया

16 अगस्त 2022 को हम दोनों (बी. आर. गवई, जे., पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.) बेंच पर थे।

6. श्री भार्गव ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 304-बी के तहत मामला भी नहीं बनाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि मृतक को दहेज की मांग को पूरा न करने के कारण किसी भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि भले ही मृतक के रिश्तेदारों के साक्ष्य को अंकित मूल्य पर लिया जाए, लेकिन यह नहीं पता चलेगा कि दहेज की मांग को पूरा न करने के कारण मृतक को कोई उत्पीड़न किया गया था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र गवाह मेजर सिंह (पीडब्लू-6), गांव के सरपंच के साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करेंगे।

7. इसके विपरीत, श्री सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मृत्यु घोषणा कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि डॉ. जतिंदर पाल सिंह (पीडब्लू-8) ने गवाही दी है कि मृतक स्वस्थ मानसिक स्थिति में था और बयान देने के लिए योग्य नहीं था। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त मृत्यु घोषणा के आधार पर दर्ज की गई दोषसिद्धि में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. श्री सिंह ने आगे कहा कि पीडब्लू 3 और 4, जो गांव के सरपंच मेजर सिंह (पीडब्लू-6) के साथ मृतक के रिश्तेदार थे, के साक्ष्य से यह साबित होगा कि मृतक को दहेज की मांग को पूरा न करने के कारण प्रताड़ित किया गया था। इसलिए वह वर्तमान अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है। 9. पक्षों की सहायता से, हमने अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्रियों का अध्ययन किया है।

1 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1019

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

10. वर्तमान मामला मुख्य रूप से मृतक की मृत्यु घोषणा पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल मृत्यु घोषणा के आधार पर दर्ज की जा सकती है। हालांकि, ऐसा करने के लिए, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि मृत्यु घोषणा विश्वसनीय, विश्वसनीय और विश्वास को प्रेरित करने वाली है। वर्तमान मामले में, मृत्यु घोषणा कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री साधु सिंह (पीडब्लू-5) द्वारा दर्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बयान देने के लिए मृतक की योग्यता के बारे में डॉक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मृतक का बयान दर्ज किया और उसके बाद उसे पढ़ा गया और उसे समझाया गया। वह आगे कहता है कि उसने अपनी सामग्री को सही स्वीकार करने के बाद उसी अंगूठे को चिह्नित किया था। श्री साधु सिंह (पीडब्लू-5), कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु घोषणा पत्र में कहा गया है कि मृतक ने कहा है कि 5 नवंबर 1991 को लगभग दोपहर में उसके पति फुलेल सिंह, यानी अपीलार्थी, जोरा सिंह, ससुर और धन कौर, सास ने उसे पकड़ लिया। उसके पति, यहाँ अपीलार्थी ने उसके व्यक्ति पर मिट्टी का तेल डाल दिया और उसे आग लगा दी। उसने आगे कहा कि जब वह फिल्म पर सेट की गई थी, तो उसने शोर मचाया लेकिन आरोपी ने उसे काबू कर लिया।

11. यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक को 5 नवंबर 1991 को जलने की चोटें आईं, लेकिन मृतक के रिश्तेदारों द्वारा एस. डी. एम., लुधियाना को एक आवेदन दिए जाने के बाद 8 नवंबर 1991 को मृत्यु की घोषणा दर्ज की गई। श्री साधु सिंह (पीडब्लू-5), कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया कि एस. डी. एम., लुधियाना के आदेश वाले आवेदन को लाने वाले लड़कों ने उनसे कहा था कि मृतक का बयान दर्ज किया जाना चाहिए और वह बयान देने की स्थिति में थी। उसने आगे स्वीकार किया कि उन लड़कों ने उससे कहा था कि उन्हें मृतक को जो कुछ भी बताना है, उन्होंने उससे कहा था और उसे उसका बयान दर्ज करने के लिए उनके साथ जाना चाहिए। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि वे 2-3 लड़के मृतक के रिश्तेदार थे और कुछ अन्य व्यक्ति भी उस कमरे में थे जिसमें उन्होंने मृतक का बयान दर्ज किया था।

12. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस बारे में गंभीर संदेह है कि क्या श्री साधु सिंह (पीडब्लू-5), कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा स्वैच्छिक थी या प्रतिवादी संख्या 5 के कहने पर सिखाई गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि डॉ. जतिंदर पाल सिंह (पीडब्लू-8) ने अपने बयान में ही कहा है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री साधु सिंह (पीडब्लू-5) ने 8 नवंबर 1991 को मृतक की मृत्यु की घोषणा दर्ज की थी।

फुलेल सिंह बनाम हरियाणा राज्य

[बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई, जे.] 802

जबकि उनकी वास्तविकता के संबंध में राय उनके द्वारा 8 नवंबर 1991 को दोपहर 06.00 पर दी गई थी। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि उन्होंने बेड-हेड टिकट में उल्लेख नहीं किया था कि उन्होंने 8 नवंबर 1991 को दोपहर 04.40 पर मृतक के बयान को सत्यापित किया था। अतः इस बात पर संदेह है कि क्या डॉ. जतिंदर पाल सिंह (पीडब्लू-8) ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री साधु सिंह (पीडब्लू-5) द्वारा बयान दर्ज किए जाने से पहले मृतक की शारीरिक स्थिति के संबंध में वास्तव में जाँच की थी।

13. यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ. जसमीत सिंह धीर (पीडब्लू-7) ने कहा है कि मृतक को भर्ती करते समय उनके द्वारा दर्ज किया गया इतिहास मृतक ने स्वयं सुनाया था। उन्होंने आगे कहा है कि मृतक ने यह भी बताया था कि उसके पति ने उस पर पानी डालकर आग बुझाई थी। 14. परिस्थितियों की समग्रता में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्यु घोषणा (उदा. पी. एल.) संदेह से मुक्त है।

15. सबसे स्पष्ट पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि जहाँ तक मृतक के ससुर जोरा सिंह का संबंध है, उच्च न्यायालय ने स्वयं मृत्यु घोषणा पर अविश्वास किया है। हम यह समझने में विफल हैं कि उसी मृत्यु घोषणा को अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए आधार कैसे बनाया जा सकता था, जबकि जहाँ तक किसी अन्य अभियुक्त का संबंध है, उसी पर विश्वास नहीं किया गया था।

16. श्री भगवान, एसआई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (पीडब्लू-9) के बयान का उल्लेख करना भी उचित होगा। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 307 या आईपीसी की धारा 498-ए के तहत मामला नहीं था, बल्कि आईपीसी की धारा 309 के तहत मामला था। उन्होंने आगे कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी डी. एस. पी. श्री सुखदेव सिंह और एस. एच. ओ. श्री राजेंद्र सिंह ने उनके द्वारा की गई जांच की पुष्टि की थी और उसे सही पाया था और उनके निष्कर्षों से सहमत थे। उन्होंने आगे कहा है कि जाँच के दौरान, यह पता चला कि मृतक थोड़े गुस्से में था और आरोपी जोरा सिंह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन गाँव में नहीं था और वह दिवाली के लिए खरीदारी करने के लिए राम मंडी गया था।

17. जहाँ तक दहेज की माँग को पूरा न करने के कारण उत्पीड़न के साक्ष्य का संबंध है, अभियोजन पक्ष मृतक के भाई पवित्र सिंह (पीडब्लू-3), मृतक के पिता रणधीर सिंह (पीडब्लू-4) और मेजर सिंह (पीडब्लू-6) के साक्ष्य पर निर्भर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गाँव। जहाँ तक पीडब्लू 3 और 4 का संबंध है, वे मृतक के रिश्तेदार हैं और उनके साक्ष्य की अधिक सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ जांच करनी होगी। जहाँ तक दहेज की माँग को पूरा न करने के संबंध में उत्पीड़न का संबंध है, अस्पष्ट आरोप के अलावा, अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए उनके साक्ष्य में कुछ भी नहीं है। जहाँ तक गाँव के सरपंच मेजर सिंह (पीडब्लू-6) का संबंध है, उन्होंने कहा कि उन्हें मृतक के पिता रणधीर सिंह (पीडब्लू-4) ने सूचित किया था कि मृतक के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे और इसलिए उन्हें गाँव चठा जाना चाहिए। हालाँकि, वह यह भी नहीं बताते हैं कि उन्हें मृतक के पिता रणधीर सिंह (पीडब्लू-4) द्वारा सूचित किया गया था कि मृतक को दहेज की माँग को पूरा न करने के कारण कोई उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। इसलिए हमारा विचार है कि उचित संदेह से परे यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मृतक को दहेज की माँग को पूरा न करने के कारण परेशान किया गया था। इसलिए हम मानते हैं कि आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत मामला अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं बनाया गया है।

18. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं: (i) अपील की अनुमति है;

((ii) निचली अदालत द्वारा 14 सितंबर, 1999 को दर्ज किए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित निर्णय और 24 जुलाई, 2009 के आदेश को रद्द कर दिया गया है और खारिज कर दिया गया है; और (iii) अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है और उसके जमानत बांड को खारिज कर दिया जाएगा।

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान